कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2013 से 31.03.2016

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(i) कृषि उपज मण्डी समिति, ऊना के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48.2 के प्रावधानों के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मण्डी समिति ऊना के आहरण एवं वितरण/नियन्त्रण अधिकारी निम्नानुसार थेः—

क्र0सं0	नियन्त्रण एवं आहरण वितरण अधिकारी का नाम	कार्य अवधि
1	श्री सुशील गुलेरिया	1.4.2013 से 9.4.2013
2	श्री भूपिन्द्र सिंह	10.4.2013 से 31.3.2016

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में) (₹)
1	कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा मार्केटिंग बोर्ड शिमला में डिपॉजिट कार्य करवाने हेतु जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	7	68.29
2	दिनांक 31.3.2016 तक भू—राजस्व के रूप में बकाया वसूली हेतु शेष	8	29.98
3	दुकानों एवं भवनों के किरायेदारों से सेवाकर की वसूली न करना	9	8.19
4	सेवाकर का समय पर भुगतान न करने के कारण दण्ड व ब्याज के रूप में अपव्यय	10	6.73
5	दिनांक 31.3.2016 को किराया को वसूली हेतु शेष	11	0.55
6	टैक्सी बिल दावों के रूप में सचिव, मण्डी समिति को अधिक भुगतान	12	0.38
7	कत्थे की बिक्री कम दरों पर दर्शाने के कारण मण्डी शुल्क के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति को हानि	13	2.46
8	महावीर कत्था उद्योग समूर कलां से बिना लाईसैन्स प्राप्त किए अनियमित रूप से व्यवसाय करने के बावजूद दण्ड के रूप में कम वसूली	14	2.38
9	मण्डी शुल्क के रूप में कम वसूली	15	0.20

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 19.01.2017 से 2.03.2017 के दौरान ऊना में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 10/13, 3/15 व 3/16 तथा 1/14, 11/14 व 3/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डी समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत व अधूरी सूचना एवं सूचना प्रदान न करने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹174703 आँका गया। सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना से अंकेक्षण अधियाचना संख्या–41 दिनांक 27.02.2017 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम सें भेजने का अनुरोध किया गया। सचिव, मण्डी समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 003154 दिनांक 02.03.2017 द्वारा डाक द्वारा भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	11919951.03	11538578	903196	24361715.03	7405599	16956116
2014–15	16956116.03	12439424	1095031	30490571.03	10767856	19722715.03
2015–16	19722715.03	15143707	1560486.83	36426908.86	16767142	19659766.86

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

	दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	₹19659766.86
(i)	दिनांक 29.2.16 को ईलाहाबाद बैंक ऊना द्वारा प्रदान किया गया ब्याज, जिसे दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।	(+) 8502
(ii)	दिनांक 6.01.2016 को श्री गुरदयाल सिंह, वरिष्ठ सहायक को दिया गया अग्रिम जिसे दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।	(–) 25000
(iii)	पी0एन0बी0 पन्डोगा बचत खाता में अवधि अवधि 4.9.15 से 10.9.15 तक बैंक प्रभार के रूप में काटी गई राशि जिसे दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया था।	(–) 319
(iv)	दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत रोकड़	(–) 287023
	दिनांक 31.3.2016 को बचत पास बुकों व सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों के अनुसार अन्तिम शेष	19355926.86

4.2 दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बचत खातों में जमा शेष राशि के अन्तिम शेषों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	पी0एन0बी0 पन्डोगा	3353000100176793	104566.18
2	के0सी0सी0बी0 ऊना	20013016440	2569432.42
3	के0सी0सी0बी0 सन्तोषगढ़	20026013400	121267.00
4	एस0बी0आई0 ऊना	11357387401	9248.73
5	एक्सिस बैंक ऊना	91001301679192	2893417.00
6	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गगरेट	11002868496	125223.62
7	इलाहबाद बैंक, ऊना	50172013646	439801.00
8	एस0वी0पी0 ऊना	55064744856	18830.08
9	यस बैंक, ऊना	033094600000164	648567.83
10	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक ऊना	050601000322	173141.00
		योग	**₹7103494.86**
		सावधिक जमा राशि (परिशिष्ट "घ")	**₹12252432**
		कुल	**₹19355926.86**

4.3 सावधिक निवेशः–

दिनांक 31.3.2016 तक सावधिक निवेश का विवरण निम्नानुसार है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है।

क्र0सं0	एफ0डी0सं0 व निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	अवधि	ब्याज दर
1	65130617363 / 6.01.2015	1974791	14.07.16	2254568	555 दिन	8.8%
2	65129835034 / 19.12.2014	363689	26.6.16	415114	555 दिन	8.8%
3	31555364976 / 2.12.2015	353920	2.12.16	380285	1 वर्ष	7.25%

4	11357442613 / 11.02.2016	377172	11.02.17	405269	1 वर्ष	7.25%
5	20013128417 / 8.12.2015	1564258	7.12.16	1684494	1 वर्ष	7.50%
6	517825 / 14.02.2016	265030	14.02.17	285473	1 वर्ष	7.50%
7	510505 / 22.04.2015	500000	22.04.16	545207	1 वर्ष	8.75%
8	के0सी0सी0 / 01 / 150263 / 26.9.2015	1436718	26.09.16	1552864	1 वर्ष	7.85%
9	915040017320392 / 17.04.2015	2500000	17.04.16	2716708	1 वर्ष	8.40%
10	172700DP00016554 / 31.12.15	597416	31.12.16	643498	1 वर्ष	7.50%
11	10621400000324 / 19.12.2015	1194831	19.12.16	1290789	1 वर्ष	7.80%
12	10621400000275 / 9.09.2015	547965	9.09.16	594008	1 वर्ष	8.15%
13	50183636090 / 20.12.2015	576642	21.12.16	622780	1 वर्ष 1 दिन	7.75%
	योग	₹12252432				

4.4 सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा कम ब्याज ₹0.25 लाख प्रदान करनाः—

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा अवधि 1.4.2013 से 31.3.16 के दौरान विभिन्न बैंकों में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों की परिवक्ता पर प्राप्ति योग्य परिपक्वता राशि से कम राशि प्रदान की गई।

क्र0सं0	एफ0डी0 सं0 / निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	प्रदान की गई राशि	कम प्रदान की गई राशि	बैंक का नाम
1	65130617363 / 30.6.13	1736426	6.01.15	1987587	1974791	12796	एस0वी0पी0 ऊना
2	65129835034 / 12.6.13	319568	19.12.14	365944	363689	2255	एस0वी0पी0 ऊना
3	31555369976 / 02.12.12	280146	2.12.13	304728	302163	2565	एस0वी0आई0 गगरेट
4	31555369976 / 2.12.13	302163	2.12.14	330289	327352	2937	एस0वी0आई0 गगरेट
5	31555369976 / 2.12.14	327352	2.12.15	356949	353920	3029	एस0वी0आई0 गगरेट
6	50057981223 / 14.2.15	246874	14.02.16	269854	265030	4824	के0सी000सी0बी0 सन्तोषगढ़
7	033040400000661 / 11.8.14	500000	11.8.15	546541	545329.23	1211.77	येस बैंक ऊना
					कुल योग	**29617.77**	

उपरोक्त उल्लेखित बैंक द्वारा कम प्रदान किये गये ब्याज बारे प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27 दिनांक 9.2.17 को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। तदानुसार सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के पत्र संख्या 984 दिनांक 1 मार्च 2017 द्वारा स्पष्ट किया कि ब्याज के रूप में कम प्राप्ति ₹29618 में से एफ0डी0संख्या 50057981223 के टी0डी0एस0 ₹4824 को दिनांक 31.8.2015 को बचत खाता संख्या 20026013400 में क्रेडिट दे दिया गया है व शेष राशि को प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है। अतः बैंक द्वारा कम प्रदान किये

गये ब्याज ₹24794 (29618–4824) की प्राप्ति सम्बन्धित बैंकों से करने के उपरान्त सत्यापना हेतु अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित की जाए।

4.5 अग्रिम को समायोजित न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 6.1.2016 को श्री गुरदयाल सिंह, वरिष्ठ सहायक को ₹25000 का अग्रिम प्रदान किया गया था लेकिन इस राशि को दिनांक 31.3.2016 तक समायोजित नहीं किया गया है। अतः अग्रिम किया जाए व समायोजन लेखा समायोजन आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ।

5 आय–व्यय का विवरणः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना का गत तीन वर्षों का आय–व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
1	2010–11	9889782	9478360
2	2011–12	13507906	10825307
3	2012–13	12118510	9081896

6 स्वीकृत बजट से ₹27.45 लाख अधिक व्ययः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार स्वीकृत बजट की राशि से ₹2744752 अधिक व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
2014–15	8203246	10767856	2564610
2015–16	16587000	16767142	180142
		योग	**2744752**

अतः स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशि का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में बजट के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा डिपोजिट कार्य करवाने हेतु अदा की गई ₹68.29 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा विभिन्न प्रकार के डिपोजिट कार्य करवाने हेतु अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान **परिशिष्ट "ङ"** पर संलग्न विवरणानुसार मार्केटिंग बोर्ड शिमला में ₹6828961 की जमा करवाई गई। परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने हेतु बोर्ड में जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्राप्त नहीं किए गए। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 दिनांक 31.3.2016 तक भू राजस्व के रूप में बकाया ₹29.98 लाख वसूली हेतु शेषः–

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1996 एक्ट 9 ऑफ 1970 की धारा 38 (2) तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 66 के अन्तर्गत जिला समहर्ता द्वारा भू राजस्व के रूप में बकाया घोषित की गई राशि में से दिनांक 31.3.2016 तक निम्नविवरणानुसार ₹2998096 वसूली शेष है। इस राशि की वसूली हेतु यह मामला विपणन बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

क्र0सं0	**फर्म का नाम**	**भू राजस्व के रूप में बकाया घोषित राशि में से दिनांक 31.3.16 तक वसूली हेतु शेष (₹)**
1	मैसर्ज धीमान राईंस मिल्स रैन्सरी झलेड़ा जिला ऊना	397140
2	मैसर्ज कौशल रोलर फ्लोर मिल्स इन्डस्ट्रीज एरिया टाहलीवॉल जिला ऊना	655806
3	मैसर्ज विशिष्ट कत्था उद्योग डुमखर तहसील बंगाणा, जिला ऊना	397000
4	मैसर्ज एम0एम0 प्रोडक्टस कोटला खुर्द, जिला ऊना	1471250
5	मैसर्ज नरेश कुमार, सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, रायपुर तहसील अम्ब, जिला ऊना	50500
6	मैसर्ज मोनिका फूड प्रोसेसिंग यूनिट टाहलीवॉल, जिला ऊना	26400
	कुल योग	**2998096**

भू–राजस्व के रूप में बकाया घोषित राशि में से दिनांक 31.3.2016 तक शेष बची राशि ₹2998096 का विवरण **परिशिष्ट "ङ–1"** पर भी दिया गया है।

9 दुकानों एवं भवनों के किरायेदारों से सेवाकर ₹8.19 लाख वसूल न करनाः–

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति उप नियम 2007 के पैरा 62 (xxi) द्वारा प्रावधित सेवाकर दुकानों एवं भवनों के किरायेदारों से वसूल कर सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा दिनांक 1.6.2007 से 31.3.2016 तक के सेवाकर का भुगतान ₹995192 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग को किया गया जबकि दुकानों एवं भवनों के किरायेदारों से अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक के दौरान सेवाकर के रूप में मात्र

₹176314 की वसूली की गई थी जिसके फलस्वरूप दुकान एवं भवनों के किरायेदारों से सेवाकर के रूप में ₹818878 (995192–176314) वसूली हेतु शेष है जिसका विवरण निमनानुसार हैः–

क्र0सं0	वा0सं0 / दिनांक	अवधि	सेवाकर के रूप में भुगतान की गई राशि	किरायेदारों से वसूला गया सेवाकर	वसूली योग्य शेष राशि
1	1 / 10.4.14	1.6.07 से 30.9.11	290246	–	290246
2	117 / 21.11.14	1.10.11 से 30.9.12	102566	–	102566
3	117 / 21.11.14	1.10.12 से 30.9.13	139731	–	139731
4	30 / 5.8.15	1.10.13 से 31.3.15	276275		276275
5	95 / 24.9.15	1.4.15 से 31.8.15	80066	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान की गई वसूली	
6	174 / 7.1.16	1.9.15 से 31.10.15	27959		
7	174 / 7.1.16	1.11.15 से 31.12.15	31454	176314	10060
8	208 / 10.3.16	1.1.16 से 29.2.16	30017		
9	227 / 31.3.16	1.3.16 से 31.3.16	16878		
		कुल योग	**995192**	**176314**	**818878**

उपरोक्त उल्लेखित सेवाकर के रूप में कम वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 13.02.2017 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः सेवाकर के रूप में शेष ₹818878 की दुकानों एवं भवनों के किरायेदारों से वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शेष ₹818878 की शीघ्र वसूली करने उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 सेवाकर का समय पर भुगतान न करने के कारण दण्ड व ब्याज के रूप में ₹6.73 लाख अपव्ययः–

सेवाकर अधिनियम के प्रावधानानुसार सेवाकर का भुगतान प्रतिमाह पाँच तारीख से पहले किया जाना अपेक्षित था लेकिन कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा सेवाकर अधिनियम एवं हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन समिति उपनियम 2007 के पैरा 6 (xxi) में दिए गए प्रावधानानुसार सेवाकर दुकानदारों एवं भवनों के किरायेदारों से वसूल करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर विभाग में जमा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर

विभाग द्वारा ₹672881 का दण्ड एवं ब्याज कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा अदा किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	जिस अवधि का दण्ड व ब्याज जमा किया गया	राशि	विवरण
1	79/31.7.15	2007 से 2012	290246	दण्ड धारा 76 के अन्तर्गत
2	227/31.3.16	1.10.11 से 31.3.15	251718	दण्ड धारा 76 के अन्तर्गत
3	227/31.3.16	1.10.11 से 31.3.15	130917	ब्याज धारा 75 के अन्तर्गत
		कुल योग	**672881**	

सेवाकर का समय पर भुगतान न करने के कारण दण्ड व ब्याज के रूप में ₹672881 का अपव्यय हुआ है। अतः सेवाकर पर दण्ड के भुगतान करने का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही एवं आवश्यक नियमितिकरण हेतु लाया जाता है।

11 किराया ₹0.55 लाख वसूली हेतु शेषः–

मण्डी समिति द्वारा प्रदान की गई सूचना **(परिशिष्ट "च")** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को कृषि विभाग ऊना से निम्न विवरणानुसार ₹54500 की राशि वसूली हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	विभाग/स्टॉक का नाम	दुकान सं0	किराये के रूप में दिनांक 31.3.16 को वसूली हेतु शेष राशि
1	उप निदेशक कृषि विभाग, ऊना	5	4500
2	उप निदेशक कृषि विभाग, ऊना	6	4500
3	उप निदेशक कृषि विभाग, ऊना	3	45500
		योग	**₹54500**

किराये के रूप में उक्त शेष वसूली की राशि सम्बन्धित विभाग से वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 टैक्सी बिल दावे के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को ₹0.38 लाख का अधिक भुगतानः–

सचिव, मण्डी समिति ऊना को अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान टैक्सी बिलों के रूप में ₹10 प्रति किलोमीटर की दर से 9436 कि0मी0 हेतु ₹94360 का भुगतान किया गया है जबकि वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या No. Fin (c)-B (7)-14/98 दिनांक 13 जुलाई 2005 के अनुसार टैक्सी द्वारा यात्रा करने की दर ₹6 प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई थी। सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण सचिव, मण्डी समिति के टैक्सी बिल दावों के रूप में अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान 9436 कि0मी0 हेतु ₹4 प्रति किलोमीटर की दर से ₹37744 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया। उक्त टैक्सी

बिल दावों के रूप में किए गए ₹37744 के अधिक भुगतान के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 6.2.2017 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के पत्र संख्या 985 दिनांक 1 मार्च, 2017 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त टैक्सी बिलों में ₹10 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा करने का भुगतान जिलाधीश महोदय ऊना की अधिसूचना संख्या–1181–1283/DN दिनांक 30.7.2011 के अनुसार किया गया, उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दरो पर भुगतान ₹37744 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 कत्थे की बिक्री कम दरों पर दर्शाने के कारण मण्डी शुल्क के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति को ₹2.46 लाख की हानिः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान कत्था उद्योगों द्वारा मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिर्टनों/अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतर कत्था उद्योगों द्वारा कत्था की बिक्री से सम्बन्धित बिल/वाउचर रिर्टनों के साथ संलग्न नहीं किए गए है व रिर्टनों में कत्था की बिक्री की दर ₹25000 प्रति क्विंटल भरी गई है लेकिन मैसर्ज मनोहर लाल सुपुत्र श्री हंस राज, त्यार द्वारा अवधि 17.9.14 से 16.7.15 तक एम फार्म संख्या 10/1759 में कत्था की दर ₹30000 प्रति क्विंटल भरी गई है व अवधि 1.4.14 से 31.3.15 तक उक्त फर्म द्वारा बिक्री किए गए कत्था सीता राम सुनील कुमार दिल्ली के बिल में भी ₹30000 प्रति क्विंटल की दर से बिक्री की गई उल्लेखित है। इसी तरह एम0एम0 प्रोडक्टस द्वारा अवधि 18.7.13 से 31.3.14 तक राम किश्न सत्या नरैण दिल्ली के बिल संख्या–62 दिनांक 31.3.2014 को बिक्री किए गए कत्थे की दर भी ₹30000 प्रति क्विंटल है। जिससे स्वतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य कत्था उद्योगों/फर्मों द्वारा भी कत्था की बिक्री दर ₹30000 प्रति क्विंटल ही होगी। कत्था की बिक्री से सम्बन्धित बिल/वाउचर रिर्टनों के साथ संलग्न न करके कत्था उद्योगों से मण्डी शुल्क की वसूली दर ₹25000 प्रति क्विंटल दर्शाई गई है। अतः कत्था उद्योगों से वास्तविक दरों से कम दरो पर मण्डी शुल्क की वसूली करने के कारण कृषि उपज मण्डी को **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न विवरणानुसार ₹245850 की हानि हुई है। उक्त वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33 दिनांक 16.02.2017 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः ऊना

जिला में स्थापित कत्था उद्योगों से कत्था की बिक्री से सम्बन्धित बिल/वाउचरों के अभाव में रिर्टनों में भरी गई दर ₹25000 प्रति क्विंटल को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा वास्तविक दरों से कम दरों पर रिर्टनों में बिक्री दर्शाकर कम वसूली गई मण्डी शुल्क ₹245850 की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में भी संस्था स्त्तर पर गणना करके नियमितिकरण वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 महावीर कत्था उद्योग समूर कलां से बिना लाईसैंस प्राप्त किए अनियमित रूप से व्यवसाय करने के बावजूद दण्ड के रूप में ₹2.38 लाख की कम वसूलीः—

महावीर कत्था उद्योग समूह कलां, जिला ऊना द्वारा अवधि 2005—06 से 2014—15 तक मण्डी शुल्क व दण्ड के रूप में ₹119000 जमा करवायें। अभिलेख की जाँच में उक्त फर्म द्वारा अवधि 2005—06 से 2014—15 तक बिना लाईसैन्स प्राप्त किए राशि ₹5950000 का व्यवसाय किया लेकिन उक्त फर्म द्वारा उक्त अवधि में न तो कृषि उपज मण्डी समिति ऊना को मण्डी शुल्क जमा करवाया व न ही लाईसैन्स प्राप्त किया जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 2005 की धारा 45 (3) के अनुसार यदि बिना लाईसैन्स के अनियमित रूप से यदि कोई व्यक्ति/फर्म व्यवसाय करता है तो उससे 5 गुणा दण्ड के साथ विपणन शुल्क एकत्र किया जाना अपेक्षित था लेकिन कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उक्त फर्म से उक्त अवधि में अनियमित रूप से व्यवसाय करने हेतु मण्डी शुल्क के रूप में ₹59500 की वसूली दिनांक 6.06.2015 को रसीद संख्या 0255746 ₹61400 व रसीद संख्या 0255747 द्वारा ₹57600 कुल ₹119000 जमा की गई जबकि नियमानुसार उक्त फर्म से उक्त अवधि में अनियमित रूप से बिना लाईसैन्स प्राप्त किए व्यवसाय करने हेतु ₹59500 मण्डी शुल्क व 5 गुणा दण्ड के रूप में ₹297500 कुल ₹357000 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। फलस्वरूप कृषि उपज मण्डी समिति ऊना को दण्ड के रूप में ₹238000 की कम आय प्राप्त हुई है। उक्त दण्ड के रूप में कम वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37 दिनांक 16.02.2017 के अन्तर्गत सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः मण्डी शुल्क का भुगतान समय पर न करने के कारण दण्ड के रूप में वसूली योग्य राशि से कम राशि वसूलने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा शेष ₹238000 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

15 मण्डी शुल्क के रूप में ₹20000 की कम वसूलीः–

(क) कत्था उद्योगों/फर्मों द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में जमा करवाई गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार वन विभाग ऊना द्वारा जारी किए गए विभिन्न परमिटों के अन्तर्गत पान पेस्ट व कत्था की मात्रा निर्यात हेतु दर्शाई गई है लेकिन उक्त फर्मों द्वारा मण्डी शुल्क हेतु भरी गई रिर्टनों में उक्त पान पेस्ट व कत्था की मात्रा उल्लेखित नहीं है। फलस्वरूप कृषि उपज मण्डी समिति ऊना को मण्डी शुल्क के रूप में ₹15500 की हानि हुई है।

क्र0सं0	फर्म का नाम	परमिट सं0/दि0	सामान का विवरण	मात्रा (क्विंटल में)	दर	मूल्य	मण्डी शुल्क	ओ/एम फार्म सं0	अवधि
1	अमर वनस्पति कत्था उद्योग ब्रहमपुर	112/P/12-13/1.5.12	पान पेस्ट	100	5000	500000	5000	66801	17.8.12 से 10.3.14
2	अमर वनस्पति कत्था उद्योग ब्रहमपुर	272-P-12-13/22.11.12	कत्था	20	25000	500000	5000	66801	17.8.12 से 10.3.14
3	खन्ना कत्था उद्योग चक, अम्ब	133/P/13-14/28.5.13	पान पेस्ट	110	5000	550000	5500	006/322	11.3.13 से 31.3.14
					कुल योग		**15500**		

उपरोक्त उल्लेखित मण्डी शुल्क के रूप में कम वसूली ₹15500 के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34 दिनांक 16.02.2017 के माध्यम से सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः मण्डी शुल्क के रूप में कम एकत्रित ₹15500 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) मैसर्ज मनोहर लाल सुपुत्र श्री हंस राज, त्यार द्वारा अवधि 17.9.2014 से 16.7.2015 तक मण्डी शुल्क हेतु दिनांक 15.6.2016 को एम0फार्म संख्या 000010/1759 भरी गई रिटर्न में तरल कत्था की 90 क्विंटल की मात्रा दर्शाई गई है। लेकिन उक्त रिटर्न में तरल कत्था बिक्रय दर व बिक्री से प्राप्त आय उल्लेखित नहीं थी जिससे मण्डी शुल्क की गणना की गई है जबकि रिटर्न के साथ संलग्न बिल/वाउचर में भी 90 क्विंटल पेस्ट/ तरल कत्था ₹5000 प्रति क्विंटल की दर से ₹450000 की बिक्री मैसर्ज सीता राम सुनील कुमार दिल्ली को की गई है। फलस्वरूप मण्डी शुल्क की गणना न करने के कारण कृषि उपज मण्डी समिति ऊना को मण्डी शुल्क **1%** की दर

से ₹4500 की कम प्राप्ति हुई है। उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35 दिनांक 16.02.2017 को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः उक्त मण्डी शुल्क के रूप में कम एकत्रित ₹4500 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹2802 का गलत भुगतानः–

(क) व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि माह 3/16 के दौरान वाउचर संख्या 201 दिनांक 27.2.16 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र पाल चपड़ासी को उनकी माता की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹5374 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त भुगतान में से निम्नलिखित ₹1782 की दवाईयाँ देय नहीं थी।

क्रम सं0	दवाई का नाम व मात्रा	राशि
1	Tab Enogeric 60 No"s	450
2	Tab Ascoril (C)	81
3	Tab Enogeric (P)	450
4	Cap. Movspa	360
5	Tab Codistar	81
6	Cap Movspa	360
	योग	**1782**

(ख) श्री गुरदयाल सिंह, वरिष्ठ सहायक को वाउचर संख्या 222 दिनांक 30.3.2016 को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹316 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त भुगतान में से निम्नलिखित ₹120 की दवाईयाँ देय नहीं है।

क्र0सं0	दवाई का नाम	मात्रा	राशि
1	Tab Libo Calm	10	30
2	Tab Libo Calm	30	90
		योग	**120**

(ग) श्री संजीव कुमार, चपड़ासी को वाउचर संख्या 223, दिनांक 30.3.2016 को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹1710 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त भुगतान में से निम्नलिखित ₹900 की दवाईयाँ देय नहीं है।

क्र0सं0	दवाई का नाम	मात्रा	मूल्य
1	Tab Livoxy	20	900

अतः उक्त चिकित्सा दावों के गलत भुगतान क्रमशः ₹1782, ₹120 व ₹900 कुल ₹2802 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

17 विभिन्न न्यायालयों में मण्डी समिति द्वारा दायर याचिकाओं के बारे में:-

मण्डी समिति द्वारा **परिशिष्ट "ज"** पर दिए गए विवरणानुसार कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक अनेक व्यापारियों के विरूद्ध लाईसैन्सों मण्डी शुल्क की वसूली तथा किराये की वसूली से सम्बन्धित मामले विभिन्न न्यायलयों में दायर है। अतः इन सभी मामलों में निर्णय प्राप्त होने पर तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 लाईसैन्स के नवीनीकरण बारे:-

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "झ"** पर उपलबध करवाई गई सूचना व लाईसैन्स रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न व्यवसायियों/फर्मों द्वारा अपने लाईसैन्स का नवीनीकरण नहीं करवाया गया। अतः इस बारे हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उत्पाद विपणन सामान नियम 2006 के नियम 21 (1) व (12) के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

19 मण्डी शुल्क हेतु भरी गई रिटर्न में सामान का विवरण, मात्रा व दर उल्लेखित न होना:-

एम0एम0 प्रोडक्टस कोटलां कलां द्वारा अवधि 1.9.14 से 31.3.15 तक बिक्री किए गए कत्था/सामान की रिटर्न ओ फार्म संख्या 602102 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म से उक्त अवधि हेतु मण्डी शुल्क के रूप में ₹44000 की वसूली की गई है लेकिन उक्त रिटर्न में सामान का विवरण मात्रा, दर, परमिट संख्या व दिनांक न दर्शाकर मात्र ₹3500000 उल्लेखित है व मण्डी शुल्क ₹44000 दर्शाया गया है। उक्त विवरण के अभाव में मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त दर्शाई गई राशि की वास्तविकता की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, कि वास्तव में मण्डी शुल्क की राशि उतनी ही वसूली गई थी जितनी वसूली अपेक्षित थी। उक्त रिर्टन से सम्बन्धित वाँछित अभिलेख प्रदान करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36 दिनांक 16.02.2017 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ऊना के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः उक्त फर्म से मण्डी शुल्क के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में

सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त मण्डी शुल्क के रूप में वसूली गई राशि की सत्यापना की पुष्टि की जा सके।

20 कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दुकानदारों, फर्मों, विभागों एवं संस्थाओं से मण्डी शुल्क की वसूली हेतु रिटर्न प्राप्त न करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के अंकेक्षण अवधि 4/13 से 3/16 के दौरान सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "ञ"** पर संलग्न विवरणानुसार विभिन्न दुकानदारों, फर्मों, विभागों एवं संस्थाओं से वर्णित अवधि की मण्डी शुल्क की वसूली नहीं की गई थी व न ही अंकेक्षण समाप्ति तक की इस अवधि की रिटर्न समिति में जमा की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योनिकीय उत्पाद विपणन सामान्य नियम 2006 के नियम 30 (4) के अनुसार रिटर्न जमा करवाना अनिवार्य है। अतः उक्त नियम के अन्तर्गत फर्मों से रिटर्न प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त फर्मों से मण्डी शुल्क की वसूली करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 मण्डी शुल्क व यूजर चार्जिज के रूप में वसूली गई ₹186767 से सम्बन्धित रिटर्न अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान मण्डी शुल्क व यूजर चार्जिज संग्रह रजिस्टरों के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों से मण्डी शुल्क व यूजर चार्जिज के रूप में **परिशिष्ट "ट"** पर दिए गए विवरणानुसार ₹186767 की वसूली की गई लेकिन उक्त मण्डी शुल्क व यूजर चार्जिज के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित रिटर्न अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। रिटर्नों के अभाव में मण्डी शुल्क व यूजर चार्जिज के रूप में वसूली गई राशि की वास्तविकता की जाँच वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः उक्त मण्डी शुल्क व यूजर चार्जिज के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित रिर्टनें आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि मण्डी शुल्क व यूजर चार्जिज के रूप में उक्त वसूली गई राशि की सत्यतता की सत्यापना सम्भव हो सके।

22 दुकानदारों द्वारा रिर्टन फार्म "ओ" के साथ दरों के समर्थन में बिल की छाया प्रतियाँ संलग्न न करनाः–

मण्डी समिति ऊना के क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा मण्डी शुल्क की रिर्टन फार्म "ओ" पर प्रस्तुत की गई। परन्तु "ओ" फार्म पर दर्शाई गई दरों के सर्मथन में बिलों की छायाप्रतियाँ रिटर्न के साथ संलग्न नहीं की गई है व न ही दरें मण्डी समिति के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित

की गई जिसके अभाव में मण्डी समिति ऊना द्वारा प्राप्त की गई मण्डी शुल्क की राशि की सही जाँच नहीं की जा सकी। उक्त अनियमितता को गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–17 में आपत्ति उठाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कृषि उपज मण्डी समिति के मण्डी शुल्क संग्रहकर्ता कर्मचारियों द्वारा "ओ" फार्म पर दर्शाई गई दरों के समर्थन में बिलों की छायाप्रतियाँ रिर्टन के साथ संलग्न नहीं की गई है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में फार्म "ओ" के साथ दरों के समर्थन मूल्य में बिलों की छायाप्रतियाँ संलग्न की जानी सुनिश्चित की जाए।

23 व्यापारियों/लाईसैन्सी द्वारा वार्षिक लेखें प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान जाँच के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यापारियों/लाईसैन्सियों द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज एवं विनियम विधेयक (साधारण) नियम 2005 की धारा 60 (1) तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन 2006 के नियम 37 (1) के अनुसार अपने वार्षिक लेखें के लेनदेन सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पहले फार्म "बी" पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परन्तु अधिकांश मामलों में उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई व न ही इस बारे मण्डी समिति ऊना द्वारा सम्बन्धित फर्मों/व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए। अतः उक्त लेखें प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 फर्मों द्वारा रिटर्न फार्म "ओ" के साथ "आर" फार्म संलग्न न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार फर्मों द्वारा रिटर्न फार्म "ओ" के साथ "आर" फार्म संलग्न नहीं किया गया।

क्र0सं0	फर्म का नाम	अवधि
1	मै0 हिमाचल फ्रूट कम्पनी सब्जी मण्डी ऊना दुकान संख्या–17	21.9.13 से 20.10.13 20.2.15 से 31.3.15 व 20.2.16 से 31.3.16 तक
2	मै0 जोशी फ्रूट कम्पनी सब्जी मण्डी ऊना	21.9.13 से 20.10.13
3	मैसर्ज पुरी ट्रेडिंग कम्पनी सब्जी मण्डी, ऊना	21.2.15 से 31.3.15 व 21.2.16 से 31.3.16
4	मैसर्ज अम्बे ट्रेडिंग कम्पनी सब्जी मण्डी ऊना	21.2.15 से 31.3.15 व 21.2.16 से 31.3.16

अतः सम्बन्धित फर्मों से उक्त अवधि के "आर" फार्म प्राप्त करके सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

25 (क) मण्डी शुल्क ₹379 की कम वसूली करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न दुकानदारों/फर्मों से गणना में त्रुटि के कारण देय मण्डी शुल्क की जगह कम मण्डी शुल्क की वसूली की गई है।

क्र0सं0	दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	ओ/एम फार्म सं0	ओ/एम फार्म में विक्रय दर्शाई गई राशि का वास्तविक योग	देय मण्डी शुल्क	दिया गया मण्डी शुल्क	अन्तर
1	10.3.15	दी मन्दली फिशरमैन सोसाईटी, ऊना	61/1878	345165	3452	3400	52
2	31.3.15	मैसर्ज रविन्द्र कुमार सब्जी मण्डी, सन्तोषगढ़	62674 से 62675	31300	313	306	7
3	2.3.16	अमृत ट्रेडिंग कम्पनी सब्जी मण्डी ऊना	610995	24200	242	229	13
4	3.3.16	मैसर्ज अम्बे ट्रेडिंग कम्पनी, ऊना	63586	382500	3825	3805	20
5	6.3.16	मैसर्ज हिमाचल फ्रूट कम्पनी सब्जी मण्डी, ऊना	614945	23300	233	133	100

6	7.3.16	मैसर्ज पुरी फ्रूट कम्पनी, सन्तोषगढ़	609554	90900	909	901	8
7	19.3.16	मैसर्ज आर0एन0 शर्मा एण्ड कम्पनी सब्जी मण्डी, ऊना	614873	17070	171	—	171
8	21.3.16	एस0एफ0सी0 सब्जी मण्डी ऊना	614054	77720	778	770	8
						कुल योग	**₹379**

अतः उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों/फर्मों से उक्त कम वसूली गई मण्डी शुल्क की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹20 कम जमा करवानाः—

विश्राम गृह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि माह 10/13 में विश्राम गृह में ठहरने वाले व्यक्तियों से क्रम संख्या 349 से 367 तक ₹3560 की राशि वसूली गईं जबकि रसीद संख्या 471/25 दिनांक 5.10.13 को ₹3540 की राशि ही जमा करवाई गई जिसके फलस्वरूप ₹20 कम जमा करवाये गये। अतः उक्त कम जमा करवाई की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

26 वाउचरों को क्रमवार रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः—

जाँच के दौरान पाया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति ऊना में रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज किए गए बिल/वाउचरों को क्रमवार दर्ज नहीं किया गया हैं जबकि बिल/वाउचरों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में क्रमवार दर्ज किया जाना अपेक्षित था। अतः रोकड़ बही के व्यय पक्ष में बिल/वाउचरों को क्रमवार दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में रोकड़ बही के व्यय पक्ष में बिल/वाउचरों को क्रमवार दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

28 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(14)—83 / 84—खण्ड—06,— 2769—2771 दिनांकः 22.05. 2017 शिमला—09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पंजिकृत
1. सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन भवन खलीनी, शिमला—171002.
3. अवर सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002.

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
0177—2620881

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 1 (iv) से सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1 पैरा–14 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99

1 पैरा–17 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

1 पैरा–8 अनिर्णीत

2 पैरा–17 अनिर्णीत

3 पैरा–18 अनिर्णीत

4 पैरा–19 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1 पैरा–8 अनिर्णीत

2 पैरा–10 अनिर्णीत

3 पैरा–11 अनिर्णीत

4 पैरा–12 अनिर्णीत

5 पैरा–13 अनिर्णीत

6 पैरा–16 अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1 पैरा–7 निर्णीत (किराये की बढ़ौतरी की पुष्टि उपरान्त)

2 पैरा–9 अनिर्णीत

3 पैरा–11 अनिर्णीत

4 पैरा–18 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अनिर्णीत
4	पैरा–18	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–23	अनिर्णीत
4	पैरा–27	अनिर्णीत
5	पैरा–32	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2010

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–13 (i) व (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अनिर्णीत
4	पैरा–20	अनिर्णीत
5	पैरा–28	अनिर्णीत
6	पैरा–29	अनिर्णीत
7	पैरा–34	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–8	अंशतः निर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अंशतः निर्णीत
4	पैरा–19	अनिर्णीत
5	पैरा–20	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा–6	निर्णीत	(सेवा पंजिकाओं की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–12	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा–14	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा–15	निर्णीत	(नव निर्मित दुकानों को किराये पर देने की पुष्टि उपरान्त)
11	पैरा–16	निर्णीत	(₹1546 की वसूली रसीद संख्या 368/42, 368/43, 368/44 दिनांक 17.7.2013, 455/47 दिनांक 16.9.13 व 255208, 255209 दिनांक 1.3.17 की पुष्टि उपरान्त)
12	पैरा–17	अनिर्णीत	
13	पैरा–18	अनिर्णीत	
14	पैरा–19	अनिर्णीत	
15	पैरा–20	अनिर्णीत	
16	पैरा–21	अनिर्णीत	
17	पैरा–22	अनिर्णीत	
18	पैरा–23	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 20 में पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 31.3.16 तक अनिर्णीत पैरों की सं0	55
वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरे	24
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत पैरों की संख्या	(–)7
शेष पैरे	72